



(११८ २१, १८६०)

२००५-०६

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज दयावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज ताराख. २५.१०.६० मास अ. ३०.६० वर्ष २६.१०.६० को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया । संस्था निर्लक्ष्य अधिष्ठाता-२१/१९६० के

प्राप्तं, ग्रहनिरीक्षक, निबन्धन, विहार, पटना ।

पत्र सं० पा-६५३-१०१३०३.../०८ - 4422
निबंधन महा निरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार ।

दाखिल करने का प्रमाण-पत्र।

“ श्री जगन्नाथ सीमा इंडुकेशनल एंड सोसल
डेवेलोपमेंट सोल्यूशन्स ”

के संबंध में ।

पटना, दिनांक 16/10/08

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख सीमा इंडुस्ट्रीज एक्ट 21,
1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत दाखिल/निर्वाचित/अभिलिखित किया/किये गये हैं
फीस का ब्याप 50/-। पचास रुपये। केवल ।

संस्था का स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम तन्मा के प्रस्ताव को
अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

सचिव, श्री जगन्नाथ सीमा इंडुकेशनल एंड सोसल
डेवेलोपमेंट सोल्यूशन्स

द्वारा - डेवेलोपमेंट सोल्यूशन्स, 12 एल एन जेड सी मोडर्न

प्लॉट - चित्रगुप्त नगर कंकड़वा

पटना - 800025 (बिहार)

की सेवा में उनके पत्र संख्या-

दिनांक 14.5.08

प्रसंग में अग्रसारित ।

निबंधन-प्रमाण-पत्र संलग्न है। प्राप्ति की सूचना दें ।

वास्ते, महा निरीक्षक, निबंधन
बिहार, पटना ।

x-

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

प्रेषक,

मणिभूषण प्रसाद,
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री श्रीलेश प्रसाद सिंह, सचिव,

"श्री जगन्नाथ सींग एडुकेशनल एण्ड सोशल डेवलपमेंट संस्थान"

12, एल० आई० सी० रोड,

पोस्ट-मित्र गुरु नगर बंडरबाग

जिला - पटना - 20

पटना दिनांक- 26-8-74

विषय-संस्था- "श्री जगन्नाथ सींग एडुकेशनल एण्ड सोशल डेवलपमेंट संस्थान"
(निबंधन संख्या- 1367/2008-09) के अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने
के संबंध में।

महाशय,

उपर विषयांकित संस्था के ^{दंडोपि} स्मृति पत्र/नियमावली/आय समा के प्रस्ताव एवं प्रमाणपत्र की
अभिप्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत की जाती है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/8/74

(मणिभूषण प्रसाद)
सहायक निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

संविदा संख्या-बी0एस0-3-101903/08 पत्रांक 340 दिनांक 21-11-13

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना

निबंधित संस्था में लाए गए संशोधन को

अभिलिखित करने का प्रमाण-पत्र

"श्री जगन्नाथ सीमा एजुकेशनल एण्ड सोशल डेभलपमेन्ट संस्थान" के संबंध में।
(संस्था का अद्यतन नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि संस्था द्वारा दाखिल निम्नलिखित आलेख्य संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के उपबंध के अनुसार अभिलिखित किया जाता है।

संस्था के नाम परिवर्तन की सूचना / (पूर्व नाम "श्री जगन्नाथ सीमा एजुकेशनल एण्ड सोशल डेभलपमेन्ट संस्थान" निबंधन संख्या 1367/2008-09 वर्ष, परिवर्तन नाम..... पता परिवर्तन की सूचना) पूर्व पता श्री लालेश प्रसाद सिंह, 12 एम.आई.सी. कोलोनी, पोस्ट - चित्रगुप्त नगर, के.कडवाग, पटना-800020 (बिहार) परिवर्तित पता

.....)/संशोधित स्मृति-पत्र (नया कार्यालय एवं नई कार्यकारिणी, नए उद्देश्य के साथ)/ संशोधित नियमावली (नया नाम के साथ)/ आम सभा के दिनांक 2.8.2011 एवं दिनांक 5.9.2011 के प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री लालेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष

"श्री जगन्नाथ सीमा एजुकेशनल एण्ड सोशल डेभलपमेन्ट संस्थान"

श्री लालेश प्रसाद सिंह, 12 एम.आई.सी. कोलोनी

चित्रगुप्त नगर, के.कडवाग, पटना-800020 (बिहार)

को उनके आवेदन/पत्रांक 26.3.13 के प्रसंग में अग्रसारित।

कृपया प्राप्ति की सूचना दें।

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,
बिहार, पटना।

6. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार

अध्यक्ष

- क- संस्था के प्रत्येक बैठक क अध्यक्षता करना ।
- ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।
- ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
- घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

- क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
- ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
- ग- पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।
- घ- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।
- ङ- संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।
- च- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
- छ- कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।
- ज- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।
- झ- आवश्यकता पड़ने पर कार्यकारिणी समिति की पूर्व अनुमति के बिना 1000/- खर्च करना ।
- ट- अध्यक्ष की राय से अन्य कार्य सम्पादित करना ।

कोषाध्यक्ष

- क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और अध्यक्ष के द्वारा आहूत ... बैठक में प्रस्तुत करना ।..
- ख- संस्था के सदस्यता शुल्क इत्यादि प्राप्त कर रसीद देना ।
- ग- संस्था के कोष को किसी निर्धारित बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

7. आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

- क- संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को निर्वाचन करना ।
- ख- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।
- ग- अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
- घ- अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

मिलाना भा
2/11/23

[Signature]

(5)

“ श्री जगन्नाथ सीता एजुकेशनल एण्ड सोसल डेभेलौपमेन्ट संस्थान ”
की
संशोधित नियमावली

1. परिभाषा

- क- संस्था से अभिप्राय है :- “ श्री जगन्नाथ सीता एजुकेशनल एण्ड सोसल डेभेलौपमेन्ट संस्थान ”
- ख- समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
- ग- पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
- घ- वर्ष से अभिप्राय है :- 01ली अप्रील से 31 मार्च तक ।
- ड- एक्ट से अभिप्राय है :- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860

2. सदस्यता

कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे और जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करेंगे संस्था का सदस्य बनें सकेंगे सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाएगी । प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपया प्रवेश शुल्क एवं 21/- रूपया मासिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा ।

3. सदस्यता से विमुक्ति :-

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।

- क- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
- ख- पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
- ग- न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी मुकदमों में सजा पाने पर ।
- घ- सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
- ड- लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।
- च- अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।
- छ- संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण करने पर ।

4. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

- क- कार्यकारिणी समिति का कम से कम 07 (सात) सदस्यों की होगी ।
- ख- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा किया जाएगा ।
- ग- समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों की होगी । निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।

5. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

- क- संस्था के चल या अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होगा ।
- ख- संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।
- ग- शाखा एवं उप शाखा का गठन करना ।
- घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

मिलान सिंह
अध्यक्ष

Spring

“ श्री जगन्नाथ सीता एजुकेशनल एण्ड सोसल डेभेलौपमेन्ट संस्थान ”

का

संशोधित स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- “ श्री जगन्नाथ सीता एजुकेशनल एण्ड सोसल डेभेलौपमेन्ट संस्थान ”
2. निर्बाधित कार्यालय :- इस संस्था का निर्बाधित कार्यालय- द्वारा शैलेश प्र० सिंह, 12 एल०आई०सी० कॉलोनी, पोस्ट- चित्रगुप्तनगर, कंकडबाग, पटना-800020 (बिहार) में रहेगा, स्थान परिवर्तन की सूचना संबंधित कार्यालय / संबंधित पदाधिकारियों को 15 दिन पूर्व दे दी जाएगी ।
3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।
4. उद्देश्य :- इस संस्था के केन्द्रीभूत उद्देश्य (Core objective) निम्न है ।
 - क- बाल शिक्षा निरक्षरता उन्मूलन हेतु संपूर्ण साक्षरता अभियान एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थान की स्थापना और संचालन करना । मेधावी गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करना ।
 - ख- शिक्षित बेरोजगार युवक / युवतियों को हस्तकला, शिल्पकला, टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, आधुनिकीकरण व तकनीकी की व्यवस्था करना एवं तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
 - ग- पर्यावरण की प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । वन एवं अन्य प्राणियों के रक्षा हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना दुर्लभ प्रजाति के अन्य प्राणियों का संरक्षण एवं बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों को संचालित करना ।
 - घ- अनाथ बच्चों, वृद्धों, विद्यार्थियों, आश्रयहीन महिलाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था करना ।
 - ङ- भिन्न-भिन्न तरह के शिक्षण एवं प्रशिक्षण विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना ।
 - च- सामाजिक, आर्थिक न्याय एवं शोषण के खिलाफ, संघर्ष एवं व्यक्ति की किसी तरह के अन्याय शोषण एवं उत्पीड़न से राहत दिलाना एवं स्वावलम्बी बनाना ।
 - छ- पिछड़ी गं अल्पसंख्यक एवं निम्न वर्ग में व्याप्त अभाव, गरीबी और बेकारी, बेरोजगारी के निवारण हेतु रचनात्मक प्रयास करना ।
 - ज- विकलांगों को कृत्रिम अंग, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना ।
 - झ- बाल श्रमिक, महिला श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना ।

मिलान बिना
अंग

Spring

8. प्रार्थित बैठक :-

एक तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा । आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का उल्लेख होना चाहिए । अगर सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

9. बैठक की सूचना :-

- क- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी ।
- ख- आम सभा के साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।
- ग- कार्यकारिणी समिति की आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी ।
- घ- बैठक की सूचना डाक पंजी या विशेष दूत द्वारा दी जायेगी ।

10. बैठक :-

- क- कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।
- ख- आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।
- ग- अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

11. कोरम :-

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

12. आय का श्रोत :-

- क- प्रवेश शुल्क एवं मासिक सदस्यता शुल्क ।
- ख- सरकारी, देशी एवं विदेशी अनुदान ।
- ग- विशेष शुल्क एवं चन्दा से ।
- घ- सरकारी गैर सरकारी एवं अन्य श्रोतों से ऋण ।

13. निधि का अंकेक्षण :-

- क- संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रति वर्ष अंकेक्षित कराया जायेगा ।
- ख- निबंधन महानिरीक्षक बिहार अपने विवेक से जब भी चाहें संस्था का अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं । इस अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

14. कोष का संचालन :-

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

मिलान बिश्व
20/11/20

✓

Spring

15. पंजी का निरीक्षण :-

संस्था का सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।

16. नियमावली में संशोधन :-

नियमावली में संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

17. कानूनी कार्रवाई :-

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के नाम से होगी ।

18. विघटन :-

क- संस्था का विघटन अगर किसी कारणवश करना पड़े तो आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

ख- विघटन के उपरान्त ऋण इत्यादि भुगतान के बाद जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी अन्य सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से किसी समान उद्देश्यवाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

ग- विघटन के संबंध में यह संस्था निबंधन अधिनियम 21-1860 की धारा-13 का पूर्णतः अनुपालन करेगी ।

.....
प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित नियमावली की सच्ची प्रति है ।

Arjit Singh
अध्यक्ष

Sunil Kumar
कोषाध्यक्ष

S. Singh
सचिव

" श्री जगन्नाथ खीता एजुकेशनल ट्रस्ट के सल डेपुटी प्रेसिडेंट संस्थान
निबंधन संख्या - 1367/2008-09
II आम सभा का प्रस्ताव, संशोधित एनटीएन
एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि ।

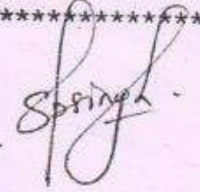
मिनाक्षी
अध्यक्ष

21/08/14

18/08/13
वास्तविक निःमहान

- ट- देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना हेतु लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना ।
- ठ- सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकासशील योजनाओं के कार्यक्रमों के संचालन में सरकार का सहयोग करना ।
- ड- लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा केन्द्र की स्थापना करना और संचालन करना । परिवार कल्याण का प्रचार-प्रसार कर परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर का आयोजन करना असाध्य रोग एवं एड्स से बचने के लिए आवश्यक जानकारी एवं दवा उपलब्ध कराना ।
- ढ- उर्जा के संरक्षण हेतु लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना और उर्जा गैर पारम्परिक उर्जा के श्रोतों को उपलब्ध कराना ।
- ण- नशाखेरी, जुआ, खेलना, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- त- पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय की स्थापना कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करना । नृत्य संगीत, नाटक, नाच का प्रशिक्षण देना ।
- थ- महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, काशीदाकारी, पेटिंग, गुडिया निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
- द- गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति तथा शिक्षित बेरोजगार, महिलाओं, आदिवासियों हरिजनों, पिछड़ी जातियों, कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाना ।
- ध- ग्रामीण जनता को संगठित कर स्वैच्छिक कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामोत्थान का कार्य करना एवं बढ़ावा देना ।
- न- जाति, सम्प्रदाय एवं धर्म में भेद-भाव किए बिना संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक वार्षिक तथा नैतिक विकास के लिए कार्य करेगी ।
- प- यह संस्था राजनीतिक से अलग एक स्वयं सेवी संस्था होगी ।

मिलान बिआ
Bihar





SHRI JAGANNATH SITA EDUCATIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT SANSTHAN

12-LIC COLONY, PO- CHITRAGUPTA NAGAR
KANKARBAGH, PATNA-20, (BIHAR)

Ref.:

Date:.....

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, योग्यता, पेशा एवं पद नीचे दिया गया है। वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है।

क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1	श्री अभिषेक कुमार सिंह पिता-स्व० राम निवास सिंह	कंकड़बाग, पटना-20	समाज सेवा	अध्यक्ष
2	श्री शैलेश प्रसाद सिंह (फौज से अवकाश प्राप्त) पिता-श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह	12, एल०आर०सी० को-चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना-20	समाज सेवा	सचिव
3	श्री सुनील कुमार पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद	12, रेदेन्यु कॉलोनी, पो-चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना-20	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष
4	शांति देवी पति-जयेन्द्र राम	शहर-मो०-बघापर अंचल-इसलामपूर जिला-नालन्दा	समाज सेवा	सदस्य
5	श्री राजेश कुमार सिंह पिता-श्री देव कुमार सिंह	113, 75 नेहरू नगर गुलज खान, पटना सिटी, पटना-7	समाज सेवा	सदस्य
6	श्री शत्रुधन कुमार पिता-रामदेव प्रसाद	कंकड़बाग कॉलोनी मोड़, गेन रोड (नियर-अमला प्लाजा) थाना-कंकड़बाग, पटना-20	समाज सेवा	सदस्य
7	श्रीमति आरती सिंह पिता-श्री गोपेश्वर प्रसाद सिंह	शहीद महेश्वर कुटीर, सोनपुर, सारन, बिहार	समाज सेवा	सदस्य

Shri Jagannath Sita Educational &
Social Development Sansthan

Prakash Kumar
अध्यक्ष
President

Shri Jagannath Sita Educational &
Social Development Sansthan

Sunil Kumar
सचिव
Secretary

Shri Jagannath Sita Educational &
Social Development Sansthan

Sunil Kumar
कोषाध्यक्ष

सं. 1
No 1



बिहार सरकार
GOVERNMENT OF BIHAR

योजना और विकास विभाग
DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, फुलवारी शरीफ पटना
AIIMS PHULWARI SHARIF PATNA

प्रपत्र-6
FORM-6



मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा बिहार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 1999 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)
(ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE BIHAR REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 1999.)

यह प्रमाणित किया जाता है निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, फुलवारी शरीफ पटना तहसील फुलवारी जिला पटना राज्य/संघ प्रदेश बिहार भारत के रजिस्टर में उल्लिखित है।

THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF DEATH WHICH IS THE REGISTER FOR AIIMS PHULWARI SHARIF PATNA OF TAHSIL/BLOCK PHULWARI OF DISTRICT PATNA OF STATE/UNION TERRITORY BIHAR, INDIA.

मृतक का नाम / NAME OF DECEASED : SHAILESH PRASAD SINGH

लिंग / SEX: पुरुष / MALE

आधार नंबर / AADHAAR NO.:
XXXXXXXX4340

मृत्यु की तिथि / DATE OF DEATH:
18-04-2021
EIGHTEENTH-APRIL-TWO THOUSAND TWENTY ONE

मृत्यु का स्थान / PLACE OF DEATH:
AIIMS PHULWARISHARIF PATNA

पति / पत्नी का नाम / NAME OF HUSBAND / WIFE:

मृतक की उम्र / AGE OF DECEASED:
52 YEARS

आधार नंबर / HUSBAND/WIFE AADHAAR NO.:

माता का नाम / NAME OF MOTHER:

पिता का नाम / NAME OF FATHER:
JAGANNATH PRASAD SINGH

आधार नंबर / MOTHER'S AADHAAR NO.:

आधार नंबर / FATHER'S AADHAAR NO.:

मृत्यु के समय मृतक का पता / ADDRESS OF THE DECEASED AT THE TIME OF DEATH:

मृतक का स्थायी पता / PERMANENT ADDRESS OF DECEASED:

12, LIC COLONY, EAST OF KENDRIYA VIDALAYA,
KANKARBAGH, PATNA, PATNA SADAR, PATNA,
BIHAR- 800020

12, LIC COLONY, EAST OF KENDRIYA VIDALAYA,
KANKARBAGH, PATNA, PATNA SADAR, PATNA,
BIHAR- 800020

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION NO:
D-2021: 10-90398-000245

पंजीकरण तारीख / DATE OF REGISTRATION:
22-04-2021

टिप्पणी / REMARKS (IF ANY):

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE:
29-04-2021

जारी करने वाला प्राधिकारी / ISSUING AUTHORITY

रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)

REGISTRAR (BIRTH & DEATH)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, फुलवारी शरीफ पटना
AIIMS PHULWARI SHARIF PATNA

UPDATED ON:
29-04-2021 12:25:17



"THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE WHICH CONTAINS FACSIMILE SIGNATURE OF THE ISSUING AUTHORITY"
THE GOVT. OF INDIA VIDE CIRCULAR NO. 1/12/2014-VS(CRS) DATED 27-JULY-2015 HAS
APPROVED THIS CERTIFICATE AS A VALID LEGAL DOCUMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSES.

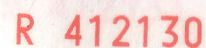
* प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें * / ENSURE REGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH *





INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR



नं० ३२७ ता० २५ मे १९८७ धारणी तहसील
सा १२२०० आठवां भाग नालाबाई चौकदार निवासेच्या पट्ट्या
मा० ६५/४ वास्तू २५०० चौरस फुटांचे
किंमत रु० १०००/-
सब रजिस्ट्री सहाय्य जी०-सारण ला० नं० ११, १९८७

R 412130

२००२-१०००


$$\begin{array}{r} 10082 \\ \hline 28 \overline{) 672} \end{array}$$


न्यायालय में,

कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर, पटना

शपथ-पत्र

मैं, आरती सिंह, पिता का नाम स्व. गोपेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी- महेश्वर कुटीर, नखास, सोनपुर, सारण, शपथपूर्वक निम्नलिखित बातों की घोषणा करती हूँ :-

1. यह कि मैं श्री जगन्नाथ सीता एडुकेशनल एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट संस्थान जिसका कार्यालय 12, एल.आई.सी. कॉलोनी, चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना, बिहार-800020 का सचिव हूँ।
2. यह कि उक्त सोसायटी प्रोप्राइटरी स्वभाव का नहीं है।
3. यह कि उक्त निबंधित सोसायटी में किसी व्यक्ति या परिवार का प्रभुत्व नहीं है।
4. यह कि सोसाइटी के प्रत्येक का नाम और पूरा पता सोसायटी डीड में स्पष्ट दर्ज है। तथा इसकी सूचना निम्नलिखित है।



6	श्री राजेश कुमार सिंह पिता स्व. देव कुमार सिंह	119, के. नेहरूचक, गुलजारबाग, पटना मिटी. पटना-7	स्नातक प्राप्त, एन.टी.टी.	समाज सेवा	सदस्य
7	श्री शत्रुधन कुमार पिता रामदेव प्रसाद	कंकड़बाग, कॉलोनी मोड़, मेन रोड (नियर-अमला पलाजा) थाना- कंकड़बाग, पटना-20	स्नातक प्राप्त	समाज सेवा	सदस्य

5. यह कि यह विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाइज के रूप में स्थापित नहीं होगा तथा यह विद्यालय किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/संस्था/न्यास के अधीन संचालित विद्यालय ब्रांड के नाम का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा।

6. यह कि विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से की जाएगी।

7. यह कि विद्यालय द्वारा ट्यूशन शुल्क, अन्य प्रकार का शुल्क, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रति वर्ष सत्र चालु होने के पूर्व सूचना पट पर लगा दिया जायेगा तथा उसे शिक्षक, अभिभावकों के बैठक में भी प्रस्तुत किया जाएगा।

8. यह कि मानव संसाधन विकास विभाग का अधिसूचना संख्या- 238, दिनांक 03.04.2006 के आपेक्षित शर्तों की कांडिका 7,8,9 एवं 10 विद्यालय को मान्य है।

9. यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्र में विज्ञापित देकर की जाती है।

10. यहाँ 25 प्रतिशत बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाती है।

11. यह कि बिशप स्कॉट बॉयज स्कूल, जिसका कार्यालय- चैनपुर, पुराना थाना- फुलवारी, हाल थाना- गोपालपुर, जिला- पटना-800027, राज्य-बिहार श्री जगन्नाथ सीता एडुकेशनल एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट संस्थान के अधीन संचालित है।

यह कि उपरोक्त शपथ-पत्र में वर्णित सारी बातें सत्य हैं जिसे पढ़कर एवं समझकर तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

Arch Singh
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Arch Singh
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

M. mehmood

Principal

Bishop Scott Boys' School
(Affiliated to CBSE, New Delhi)



*Heating the department will
Signed by the principal*

23.6.2021
E.No- 825/8

Prin. L. High
Manager

Bishop Scott Boys' School
(Affiliated to CBSE, New De)



SHRI JAGANNATH SITA EDUCATIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT SANSTHAN

12-LIC COLONY, PO-CHITRAGUPTA NAGAR,
KANKARBAGH, PATNA-20, (BIHAR)

Ref.....

Date:-.....

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम पिता / पति का नाम , पता , योग्यता, पेशा एवं पद
निचे दिया गया है वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं , जिन पर संस्था के
नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है

क्रम	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1	श्रीमती आरती सिंह पिता स्व. गोपेश्वर प्रसाद सिंह	शहीद महेश्वर कुटीर, नखास, सोनपुर, सारण	समाज सेवा	सचिव
2	श्री अभिशोक कुमार सिंह पिता स्व० राम निवास सिंह	ए/9, पी.सी. कॉलोनी, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना-20	समाज सेवा	अध्यक्ष
3	श्री सुनील कुमार पिता स्व. राजेन्द्र प्रसाद	12-रेवेन्यू कॉलोनी, पो0- चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना बिहार, 800020	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष
4	मृग्या सिंह पिता स्व.शैलेश प्रसाद सिंह	12-एल.आई.सी. कॉलोनी, पो0- चित्रगुप्त नगर, कंकड़बाग, पटना-800020	समाज सेवा	सदस्य
5	श्रीमती शांति देवी पति जयेन्द्र राम	शहर/मो0-बंधापर, अंचल- इसलामपुर, जिला-नालन्दा	समाज सेवा	सदस्य
6	श्री राजेश कुमार सिंह पिता स्व. देव कुमार सिंह	119, के नेहरूचक, गुलजारबाग, पटना सिटी, पटना-7	समाज सेवा	सदस्य
7	श्री शत्रुधन कुमार पिता रामदेव प्रसाद	कंकड़बाग, कॉलोनी मोड़, मेन रोड (नियर-अमला पलाजा) थाना- कंकड़बाग, पटना-20	समाज सेवा	सदस्य

Shri Jagannath Sita Educational &
Social Development Sansthan

Amit Singh
Secretary

Pratik K. Singh
President

Shri Jagannath Sita Educational
Social Development Sansthan

Sunil Kumar
Treasurer